फर्द अहकाम

तेजपाल बनाम श्रीमती शिप्रा कृष्णा

नाम न्यायालय – सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या- [illegible]

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/3/2021	पत्रावली पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश हुई । वाद संख्या 29 / 2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन मे प्रार्थी श्रीमती अनिता देवी ने दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 व प्रार्थी श्री तेजपाल व अन्य ने दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश कर इस वाद में दिनांक 20.08.2019 को जारी निर्णय व अंतिम डिक्री को खारिज फरमाए जाने हेतु निवेदन किया । प्रार्थी अनिता ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि वाद में प्रार्थी को बिना कोई नोटिस तामील करवाये ही वाद अंतिम डिक्री किया गया है व प्रार्थी तेजपाल व अन्य ने भी अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि वाद में प्रार्थीगण को बिना कोई तामील करवाये ही वाद अंतिम डिक्री किया गया है। अतः दोनो प्रार्थीगण ने वाद संख्या 29 / 2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.08.2019 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया । प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश होने के उपरांत समस्त पक्षकाराने की तामील करवाई गई । दिनांक 30.09.2019 को रजिस्टर्ड एडी से तामील करवाए जाने के बाद कोई लिफाफे लौटकर नही आए । अतः तामील पूर्ण मानी गई । अप्रार्थी संख्या 06 रामजीवन की ओर से दिनांक 03.02.2021 को जवाब पेश किया गया जिसमे उन्होने अवगत करवाया कि प्रार्थी व उसके अधिवक्ता की सहमति से ही प्रकरण प्रारंभिक डिक्री व अंतिम डिक्री किया गया व तहसीलदार की कुर्रेजात रिपोर्ट एवं न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम डिक्री में प्रार्थी के कब्जे काश्त व हिस्से की जमीन का तकासमा कर वर्णन किया है । प्रार्थी न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में वर्णित हिस्से पर कब्जा काश्त कर रहा है। दिनांक 09.02.2021 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई । जिसमे अप्रार्थी / वादी के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि इस वाद का निर्णय राजस्व लोक अदालत कैंप जयसिंहपुरा मे उभय पक्षकारान द्वारा निवेदन किए जाने उपरांत ही किया गया जैसा कि पत्रावली में दिनांक 14.06.2018 की आदेशिका मे अंकित है। अप्रार्थी ने अपनी बहस मे यह भी कहा कि तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट व अंतिम डिक्री भी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कब्जे को प्राथमिकता देते हुए ही बनाई गई है। वाद में अंतिम डिक्री व निर्णय भी सभी अधिवक्ताओं की बहस / आपत्ति सुनने के उपरांत ही किया गया व यह भी कहा कि राजस्व कैंप कोर्ट जयसिंहपुरा मे सभी पक्षकार उपस्थित थे [illegible] । अतः प्रार्थीगणा अनिता देवी व तेजपाल [illegible] होना असत्य है । यह भी [illegible] कि वाद अंतिम [illegible] डिक्री होकर इजराय की स्टेज पर [illegible] प्रार्थीगण ने भी करना न्यायिक दृष्टि से उचित [illegible] अपने जवाब मे उपरोक्त तथ्यों को दोहराया [illegible] अंतिम डिक्री कायम रखने हेतु निवेदन किया । प्रार्थीगण ने अंतिम बहस में यह स्पष्ट किया कि यह अंतिम डिक्री में अगर कुर्रेजात में प्रस्तावित हिस्से अनुसार व उनके कब्जे अनुसार [illegible] खाते पृथक कायम किया जाता है तो	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

उन्हें इस अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है। इस बाबत
प्रार्थीगण ने पत्रावली में आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी
सहमति दी।
उभय पक्षकारान की बहस पर मनन कर न्यायालय यह पाता
है कि यह वाद में लिखित अनुसार उभय पक्षकारान के निवेदन
अनुसार ही वाद में अंतिम डिक्री व निर्णय किया गया ।
प्रार्थीगण के खिलाफ कहीं भी एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की गई
अतः वह कुर्रेजात में आपत्ति दायर करने के लिए स्वतंत्र थे
परंतु सही समय पर आपत्ति न कर प्रार्थीगण ने निर्णय की
इजराय की स्टेज पर प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 पेश
किया है जो कि न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है ।
प्रार्थना पत्र बहस में प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट किया व आदेशिका
में हस्ताक्षर किये कि यदि कुर्रेजात में दर्शाए हिस्से व कब्जे
अनुसार अगर उनका पृथक से खाता कायम कर दिया जाता है
तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।
अतः न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थीगण को दिनांक 20.08.
2019 को पारित निर्णय व अंतिम डिक्री से कोई आपत्ति नहीं है
बल्कि अंतिम डिक्री में दिए उनके हिस्से व कब्जे की
प्राथमिकता अनुसार व अपना पृथक खाता कायम करवाना
चाहते हैं। सभी पक्षकारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह
न्यायालय वाद में निर्णय को खारिज करना उचित नहीं
समझता । अतः प्रार्थी अनिता देवी व तेजपाल वगैरह का प्रार्थना
पत्र आदेश 09 नियम 13 खारिज फरमा कर वाद संख्या
29/2011 शिप्रा कृष्णा बनाम रामजीवन में पारित संशोधित
डिक्री दिनांक 26/3/2021 को कायम रखता है । वाद में अंतिम
डिक्री पारित हो चुकी है इसलिए इस मौके पर उसमें प्रार्थीगण
का पृथक - पृथक खाता कायम करना उचित नहीं है । इस
बाबत प्रार्थीगण सक्षम अधिकारी के पास विभाजन करवाकर
पृथक खाता कायम करवा सकते हैं । पत्रावली फैसल शुमार
दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो ।
निर्णय आज दिनांक 30/3/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया
गया ।

अरशदीप बराड़ (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested